

शुद्धि पत्र

संचिका सं०-जी०/बी०टी०-30-25/2017.....जे०, पटना, दिनांक

विधि विभागीय ज्ञाप संख्या-244/जे०, दिनांक-06.12.2017 द्वारा महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत आवंटन आदेश के क्रम संख्या-02 में विषयशीर्ष "प्रकाशन एवं मुद्रण" के स्थान पर टंकण भूलवश "प्रकाश एवं मुद्रण" अंकित हो गया है, इसके स्थान पर सही रूप में "प्रकाशन एवं मुद्रण" पढ़ा जाए।

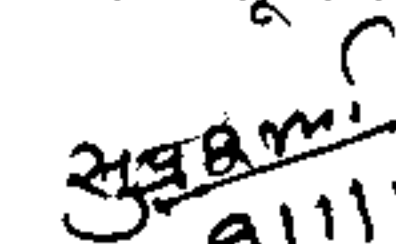
2. अतः उक्त विभागीय ज्ञाप संख्या-244/जे०, दिनांक-06.12.2017 द्वारा संसूचित आवंटन आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है तथा इसके सभी अन्य तथ्य एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.-जी०बी०टी०-30-25/2017.....⁰⁶/जे०, पटना, दि०....⁰⁹।⁰¹।¹⁸

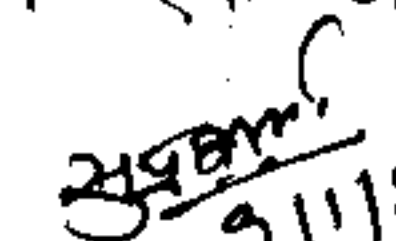
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं अपर महाधिवक्ता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-361, दिनांक-18.12.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.-जी०बी०टी०-30-25/2017....⁰⁶...../जे०, पटना, दि०....⁰⁹।⁰¹।¹⁸...

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.-जी०बी०टी०-30-25/2017....⁰⁶...../जे०, पटना, दि०....⁰⁹।⁰¹।¹⁸..

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
⁰⁹।⁰¹।¹⁸